

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

जज द्वारा जारी किया गया मुकदमा नं. 138/21  
 उपरवाणी थाना पुलिस स्टेशन बयाना (भरतपुर)  
 मुकाम नं. 138/21

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	किस दिनांक या तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
13/02/21	<p>एडो प्रामाणी ने यह प्रार्थना पत्र दायर          21/02/21 नं. के तहत पेश किया।          एडो प्रामाणी को एक पक्षीय सुना।          पक्षवती के सख्त राजस्व अधिलेख          का कवलीकरण किया। प्रमाण प्रपत्र          हस्ता प्रामाणी के एक अहकाम          आर है कि अग्रामाणी के विरुद्ध <sup>अग्रणी</sup> अहकाम          निर्दिष्ट भागरी तारीख पेशी दिनांक          18/01/21 तक इस कायाय कर गरी          किया जाय है कि प्रार्थना पत्र की मसुं          2.3 में वाजिब कारणों के तहत नारे अग्र          करारियापुर तहसील बयाना के रिफर          व गरी की यथासंभव वगैरह 30          वायत को ही आपनी हो ही नियत          तारीख पेशी के माध्यम राजा उपर          है। प्रमाण 21 (जो है) अग्रामाणी          को जरूर तैयार कर के प्रामाणी          दिनांक 18/01/21 को पेश ही।</p>	

पीठासीन अधिकारी  
 मवावली पूर्वानुसार दिनांक

उपरखण्ड अधिकारी  
 बयाना (भरतपुर)

रीडर  
 एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना

तारीख  
हुकम

12/7/21  
पुस्तक प्रामाण्य अर्थात पुस्तक कोडिंग  
की कर 4/10/21 सुविधा दिनांक को 20/10/21  
दिनांक 20/10/21 को 25/10/21

20/10/21

गीतरीज अधिकारी  
पत्रावली पूर्वागार दिनांक 19/10/21 को पत्रावली  
रीडर  
ओ/एस.डी.एम

19/10/21 गीतरीज अधिकारी  
पत्रावली पूर्वागार दिनांक 19/10/21 को पत्रावली

रीडर  
ओ/एस.डी.एम.

11/11/21

~~पुस्तक आग पत्रावली (पुस्तक  
के 1050 प्रवर्गीकरण व उनमें शिक्ति  
संयुक्त न्यायलय एका के वार-  
वार आवान लजावाम को उपरान्त  
की कोरि अपन नही~~

अतः पुस्तक सभी पत्र पर  
अपन शिक्ति एवं अपन पत्रावली के  
न्यायिक शिक्ति कोराएय पत्रावली  
पुस्तक सुगल शिक्ति न्याय के  
कोरि को वार-वारीत सार्विक ल  
पत्रावली